



(5)

न्यायालय मानीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी निम्न - २५७४- I-16

अशोक कुमार आत्मज श्री राजेन्द्र कुमार
जैन निवासी लक्ष्मीनारायण वार्ड करेली
तहसील करेली जिला नरसिंह पुर

..... आवेदक

बनाम

1. नारायण दास नेमा आत्मज तुलसीराम
नेमा निवासी लक्ष्मीनारायण वार्ड करेली
तहसील करेली जिला नरसिंहपुर म.प्र.
2. जामा मरिजद कमेटी अध्यक्ष हाजी
मुहम्मदसमी निवासी राम वार्ड करेली
तहसील करेली जिला नरसिंहपुर
3. शरीफ खान आ. बच्चू खान
4. दुर्गेश ठाकुर आ. मेर सिंह ठाकुर
5. शरीफ खान आ. शेख ताज मंसूरी
6. जगदीश पटेल आ. पूरन पटेल
7. दददे पटेल आ. गुलाब पटेल
8. सियाराम पटेल आ. प्रेमनारायण पटेल
9. सुरेश सराठे आ. पुरुषोत्तम सराठे
10. सहदुल अली आ. नन्हे शाह
11. बहीद खान आ. पीरु बाबा
12. पपू ठाकुर आ अहरिचरण
13. श्रीमती शारदा ठाकुर पत्नी समरु
14. रहमत पिता गफूर अली
15. श्रीमती सुमनकहार पत्नी विजय कहार
16. श्रीमती जुगलबाई मेहरा पत्नी सुमेर
सिंह

श्री २५७४-१-८१६
वारा आठ दि १-८-१६

लक्ष्मीनारायण
तहसील करेली जिला नरसिंहपुर म.प्र.

२५७४-१-८१६
१-८-१६

— 2 —



— 2 —

17. जुम्मन रांकई वाले

18. शाहिद आ. गफूर शाह

क्रमांक 3 से 18 निवासी तहसील करेली
जिला नरसिंहपुर

..... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50(1) म.प्र. भू राजस्व संहिता
न्यायालय तहसीलदार तहसील करेली द्वारा प्रकरण
क्रमांक 4 / अ-70 / 2015-16 में पारित आदेश दिनांक
30.06.2016 के विरुद्ध निगरानी।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2574-एक/2016 जिला -नरसिंहपुर

रक्षान् दिनांक	तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा तकों आदि के हस्ताक्षर
7.2.19		<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री आर० एस० सेंगर उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार करेली जिला नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ-70/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30/06/16 के विरुद्ध म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2— म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार हैः—</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन—</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला नरसिंहपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 15/4/19 कलेक्टर जिला नरसिंहपुर</p> 	